Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

राधेश्याम बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा.....225 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 66/2024

GCMS NO 2024/----------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.24	अपील श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम आलनपुर की चौसाला सम्वत 2074–77 के स्थाई खाता संख्या 535 का अवलोकन नही किया। विवादित भूमि सम्पूर्ण खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमे अपीलांट का7/384 हिस्सा है। भूमि का तकासमा नही हुआ है। तकासमा नही होने के कारण विवादित भूमि की तादावा यथास्थिति बनाई रखने की रिलीफ अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज किया है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे की प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर कही भी यह अंकित नही है कि किस किस पक्षकार की तामिल हुई है किस की नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से प्रकरण को गुणावगुण पर निराचित नही कर मात्र रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर गलत प्रकार से विचार कर स्थगन आदेश हटाया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे। अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट के तहत पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.5.24 को अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर विवादित आराजीयात के बाबत आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.7.24 तक प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की मजाहमत नही करने एवं मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने के साथ साथ यदि उपयुक्त लगता है तो आदेश मे कियान्विति किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.11.24 को अप्रार्थी संख्या 4 व 22 के अधिवक्ता उपस्थित होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी पर आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.5.24 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अप्रार्थी संख्या 4 व 22 के जबाब एवं शेष अप्रार्थीगण की तलबी मे नियत किया गया है। चूकिः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण तलबी एवं जबाब मे लिखा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय नही होने से अपील मे अस्थाई पर अनुतोष दिया जाना उचित नही है। न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थीगण/अपीलांट से उचित सम्मन प्राप्त किये जाकर अप्रार्थीगण से जबाब प्राप्त किया जाकर प्रकरण का तीन मे अंतिम निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner